

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

पत्रांक: 31 / डीडी0 / फा0स0 / मेरठ-17(गौतम0) / 312.

दिनांक: मार्च 22 2017,

सेवा में,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स महालक्ष्मी इन्फ्राहोम प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-03, सेक्टर ओमीकोन-03, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित गुप हाऊसिंग भवन "मिगसन अल्टीमो" के (टावर सन-1,2,3,4,5,6, एवं 7) कुल 07 टावरों के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2014/6474/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/1037/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय भवन निर्माण हेतु संशोधित मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर श्री मतलूब हुसैन से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 20-03-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री रामराजा यादव को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 21-03-2017 के माध्यम से पत्रावली अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- कुल प्लॉट एरिया-25,066.60 वर्ग मी0 जिसमें प्रस्तावित 06 अदद टावरों की अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में संयुक्त निदेशक फायर सर्विस लखनऊ कार्यालय के समक पत्र दिनांक: जनवरी 2015 में निर्गत की गयी है, वर्तमान में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा 01 अदद प्रस्तावित अतिरिक्त टावर के उपरान्त वर्तमान में 07 अदद टावरों का फ्लोरवाइज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या		टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।		ऊँचाई मी0।	
		पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान
1	टावर सन-1	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 21 तल	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 21 तल	1180.99	771.37/769.56	67.65	67.65
2	टावर सन-2	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 23 तल	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 21 तल	923.56	641.96	73.65	67.65
3	टावर सन-3	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 21 तल	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 21 तल	1180.99	771.37/769.56	67.65	67.65
4	टावर सन-4	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 21 तल	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 21 तल	1180.99	767.43	67.65	67.65
5	टावर सन-5	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 23 तल	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 19 तल	923.56	467.89	73.65	61.65
6	टावर सन-6	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 21 तल	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 19 तल	1180.99	466.87	67.65	61.65
7	टावर सन-7	-	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 19 तल	-	569.26	-	61.65
8	कामर्शियल	-	भूतल	-	-	-	-
9	कम्यूनिटी	-	भूतल एवं 02 तल	-	424.96/365.31	-	10.65

बेसमेन्ट:- प्रश्नगत भवन में डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है, जिसमें लोवर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-10,003.48 वर्ग मी0 एवं अपर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-20,610.95 वर्ग मी0 है। तथा बेसमेन्ट की छत अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं हेतु 75 टन भार वहन क्षमता की बनायी जानी अनिवार्य होगी।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

डांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 130 मी0 एवं 12 मी0 साईट का रोड मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वार:- प्रश्नगत भवन में प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौड़ाई 06.00 मी0 एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

3-सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0। बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0। सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0। डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 07.50 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

4-निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेस जिनकी चौड़ाई 01.50 व 01.25 मी0 प्रस्तावित है, तथा बेसमेन्ट में 02 अदद रैम्प प्रस्तावित है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

(अग्नि शक्ति)
उप निदेशक फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ

- इण्टरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.9 से 4.9.10 तक तथा एक्सटरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.11 से 4.11.11 तक के अनुसार एवं रैम्प का निर्माण एनबी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.14.1 से 4.14.3 के अनुसार किया जायेगा।
- 5-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एनबी0सी0 मानक के अनुसार है।
- घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में एनबी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना प्राविधानित है।
- 1-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन में 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एनबी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।
- 2-पम्पस:-प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद में पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने वांछनीय है।
- 3-टेरिस टैंक:-प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एनबी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।
- 4-होजरील:-प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व एनबी0सी0 मानकों के अनुसार वांछनीय है।
- 5-वेटराईजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराईजर एनबी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार वांछनीय है।
- 6-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानकों के अनुसार वांछनीय है।
- 7-ऑटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम:- बेसमेन्ट सहित सम्पूर्ण भवनों के समस्त टावरों में ऑटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम एनबी0सी0 एवं सम्बन्धित मानकों के अनुसार वांछनीय है।
- 9-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:-सम्पूर्ण भवनों के समस्त टावरों में ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एनबी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।
- 10-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवनों के समस्त टावरों में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एनबी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।
- 11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार वांछनीय है।
- 12-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एनबी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।
- 13-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एनबी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।
- 13-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पी0ए0 सिस्टम एनबी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।
- 14-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन एनबी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
- 15-प्रेशराईजेशन:- प्रश्नगत भवन में आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन एनबी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.10 से 4.10.7 के निर्देशानुसार किया जायेगा।
- 16-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एनबी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
- 17-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एनबी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
- 18-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा स्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी/मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स महालक्ष्मी इन्फ्राहोम प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-03, सेक्टर ओमीकोन-03, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन 'मिगसन अल्टीमो' के (टावर सन-1,2,3,4,5,6, एवं 7) कुल 07 टावरों के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से काराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: मानचित्र।

(अग्नि शमनी)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
मेरठ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मेरठ

- प्रतिलिपि: 1-संयुक्त निदेशक फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
3-अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
4-मैसर्स महालक्ष्मी इन्फ्राहोम प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-03, सेक्टर ओमीकोन-03, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।